

6	लॉर्ड कृष्णा पब्लिक मावि रेवदर, सिरौही	CBSE	2018-19	अंग्रेजी
---	--	------	---------	----------

Note:- The section and its records shall be opened for inspection by an officer/official of the board or an authorized representative of the Board/state educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the board/state Government from time to time.

(W. S. S.)
(नथमल डिंडेल)
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर.

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
4. निजी सहायक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राज0 सरकार, जयपुर।
5. उपशासन सचिव-प्रथम शिक्षा (युप-1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय).....
10. संबंधित विद्यालय

(Signature)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिबिरो/मा/वीएसपी-री/अ-2/60567/केमाशिबो/2018-19 दिनांक : 29/6/18

- (1) सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केंद्र-2 सामुदायिक केंद्र
प्रीत विहार, दिल्ली-1100092
- (2) सचिव,
सी.आई.एस.सी.
प्रगति हाऊस, तीसरी मंजिल
47-48, मेडरू पैलेस
नई दिल्ली- 110505

विषय :- सत्र : 2018-19 हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक प.14(8)शिक्षा-1/2009 पार्ट-8 जयपुर दिनांक 28.06.2018 की पालना में जारी समसंख्यक संशोधित स्वीकृति दिनांक 29.06.2018 के क्रम में निम्नांकित 06 गैर सरकारी विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र एवं माध्यम के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी। ऐसा नहीं करने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी :-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता (CBSE /CISCE)	NOC द देने का सत्र	माध्यम
1	लीयल पब्लिक स्कूल रतनगढ़, चुरू	CBSE	2018-19	अंग्रेजी
2	दयानन्द सरस्वती बाल मन्दिर दुर्गा मन्दिर के पास, निधिवन नगर, टीसा	CBSE	2018-19	हिन्दी
3	सेवन स्टार कॉम्प्लेक्स स्कूल जयपुर रोड, भोलासर नगरी	CBSE	2018-19	अंग्रेजी
4	मोर्निंग स्टार सेंट एंजल्स स्कूल मयसामपुरा, फागी रोड, सांगानेर, जयपुर	CBSE	2018-19	अंग्रेजी
5	देहली पब्लिक स्कूल काली चौकरी 2 वीरवा राड, पाली	CBSE	2018-19	अंग्रेजी

(Handwritten signature)

शिक्षण विभाग (11) के तहत प्रारंभिक प्रवेश हेतु संशोधित पत्र को संशोधित कर उसकी समीक्षा/संशोधित प्रारंभिक प्रवेश हेतु

P.T.C. Note Sheet